समक्ष - एस.एस. निज्जर और जे.एस. नारंग, जे जे

बाली सिंह वर्मा- याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था और अन्य - उत्तरदाता

सी.डब्ल्यू.पी. क्रमांक 19988 ऑफ़ 2002

30 अगस्त 2004

भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 226 — हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था सेवा नियम, 1979 — परिशिष्ट 'बी' नियम 9(1)—निदेशक के पद पर नियुक्ति—1979 नियम निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए तीन स्रोत निर्धारित करते हैं— याचिकाकर्ता के दावे पर विचार पदोन्नति — अस्वीकृति—उसे चुनौती—नियुक्ति प्राधिकारी को उस स्रोत को चुनने का विवेक है जहां से नियुक्ति की जाएगी—नियम भर्ती की पद्धति का सहारा लेने के लिए कोई प्रतिबंध प्रदान नहीं करते हैं—नियमों के तहत न तो कोई कोटा और न ही कोई रोटा प्रदान किया गया है—नियुक्ति प्राधिकरण के पास सभी तीन स्रोतों से नियुक्ति के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों पर एक साथ विचार करने का अधिकार क्षेत्र है - एक स्रोत की दूसरे पर कोई प्राथमिकता नहीं - बेहतर सेवा रिकॉर्ड, अनुभव और उच्च वेतनमान के आधार पर प्रतिनियुक्ति द्वारा निदेशक के रूप में प्रतिवादी 3 का चयन - उत्तरदाताओं की कार्रवाई न तो मनमाना और न ही अधिकार क्षेत्र के बिना - कोई भी व्यक्ति अधिकार के रूप में और केवल

वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति का दावा करने का हकदार नहीं है - कर्मचारी केवल नियमों और विनियमों के अनुसार पदोन्नति के लिए विचार करने के हकदार हैं - याचिका खारिज की जा सकती है।

अभिनिर्णित , 1979 के नियमों को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि नियुक्ति प्राधिकारी के पास उस स्रोत को चुनने का विवेक है जहां से नियुक्ति की जाएगी। नियमों के तहत न तो कोई कोटा है और न ही कोई रोटा प्रदान किया गया है। भर्ती के स्रोतों का कोई पदानुक्रम भी नहीं है। एक स्रोत की दूसरे पर कोई प्राथमिकता भी नहीं है। ये अतिरिक्त प्रतिबंध जिनकी पुरजोर वकालत की गई है, निहितार्थ से नहीं जोड़े जा सकते। नियम की व्याख्या करते समय, न्यायालय को नियम में संशोधन या संशोधन करने की अनुमति नहीं होगी। नियम की व्याख्या या व्याख्या करते समय, न्यायालय नियम का पुनर्निर्माण नहीं कर सकते। यह विधायिका या नियम निर्माताओं का कार्य है।

(पैरा 10)

इसके अलावा निर्धारित किया गया - कि याचिकाकर्ता के पदोन्नति द्वारा नियुक्त होने के दावे पर विचार किया गया है। कोई भी व्यक्ति अधिकार के रूप में पदोन्नति का दावा नहीं कर सकता। कर्मचारी केवल नियमों और विनियमों के अनुसार पदोन्नति पर विचार करने के हकदार हैं। इसलिए, हमारी सुविचारित राय है कि याचिकाकर्ता के किसी भी कानूनी अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया है।

एस.पी. लालेर- याचिकाकर्ता के वकील ।

वरिष्ठ वकील पी.एस. पटवालिया के साथ अमनप्रीत सिंह - वकील प्रतिवादी नंबर 3 के लिए।

निर्णय

एस.एस. निज्जर, जे, (मौखिक)

(1) हमने पक्षों के विद्वान वकील को विस्तार से सुना है और पेपर-बुक का अध्ययन किया है।

(2) याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री लालेर ने जोरदार तर्क दिया है कि हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के निदेशक के पद पर पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ता के दावे को उत्तरदाताओं द्वारा मनमाने ढंग से खारिज कर दिया गया है। याचिकाकर्ता ने 9 दिसंबर, 2002 को वर्तमान रिट याचिका दायर की थी जिसमें आशंका थी कि निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के दावे को नजरअंदाज कर दिया जाएगा और प्रतिवादी नंबर 3 को प्रतिनियुक्ति के माध्यम से नियुक्त किया जाएगा। याचिकाकर्ता की आशंका तब सच हुई जब प्रतिवादी नंबर 3 को वास्तव में नियुक्त किया गया। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि पहले आठ मौकों पर, निदेशक का पद हमेशा कृषि विभाग से प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों की नियुक्ति से भरा गया है। इससे पहले भी, याचिकाकर्ता के पास सी.डब्ल्यू.पी क्रमांक 7772 ऑफ़ 1994 दायर करके निदेशक एस.एस. गिल

की नियुक्ति को चुनौती देने का अवसर था। 28 सितंबर 1994 को रिट याचिका स्वीकार कर ली गई और एस.एस. गिल की नियुक्ति रद्द कर दी गई। उपरोक्त निर्णय 1994(4) आरएसजे, पृष्ठ 700 में बताया गया है। एस.एस. गिल की नियुक्ति को रद्द करने के बाद भी, आधिकारिक उत्तरदाताओं ने एक बलजीत सिंह को निदेशक के रूप में नियुक्त किया। याचिकाकर्ता ने सी.ओ.सी.पी. संख्या 1128 ऑफ़ 1995 दायर की हालांकि उपरोक्त सी.ओ.सी.पी. में नियम का निर्वहन किया गया था, लेकिन यह देखा गया कि याचिकाकर्ता के लिए बलजीत सिंह की नियुक्ति को चुनौती देना खुला था। विद्वान वकील के अनुसार, आधिकारिक उत्तरदाताओं ने प्रतिवादी संख्या 3 की प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए फिर से वही कार्यप्रणाली अपनाई है। विद्वान वकील ने कहा है कि प्रतिवादी नंबर 3 की नियुक्ति न केवल सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 7772 ऑफ़ 1994 में डिवीजन बेंच द्वारा लिए गए निर्णय के विपरीत है , लेकिन 1996 की सिविल अपील संख्या 6887 में **प्रस्तुत दिलवान सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के भी खिलाफ है। उपरोक्त निर्णय की प्रति अनुलग्नक पी-4 संलग्न है । प्रतिवादी नंबर 3 की नियुक्ति को भी सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 14515 ऑफ़ 1994 **(श्री एस.पी. सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य)** में दिए गए इस न्यायालय के फैसले के विपरीत बताया गया है। विद्वान वकील ने **बबीता रानी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य**[1] के मामले में दिए गए इस न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया है ।

[1] 2002(3) R.S.J. 1999

अपनी दलील के समर्थन में कि प्रतिवादी नंबर 3 कट-ऑफ तारीख यानी 11 दिसंबर, 2002 को 10 साल का आवश्यक अनुभव पूरा नहीं करता है। इसलिए, प्रतिवादी नंबर 3 पर नियुक्ति के लिए विचार भी नहीं किया जा सकता था।

(3) श्री पी.एस. पटवालिया , उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने, हालाँकि, प्रस्तुत किया है कि निर्णय प्रतिवादियों-एजेंसी द्वारा हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेंसी सेवा नियम, 1979 (इसके बाद "1979 नियम" के रूप में संदर्भित) के अनुसार लिया गया है। उनका कहना है कि अपनाई गई प्रक्रिया और प्रतिवादी नंबर 3 की नियुक्ति याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उद्धृत किसी भी निर्णय के विपरीत नहीं है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार नियमों के तहत निदेशक पद पर नियुक्ति 1979 के नियमों के परिशिष्ट-बी में निहित प्रावधानों के अनुसार की जानी है। ये नियम उत्तरदाताओं-एजेंसी को तीन स्रोतों से निदेशक के पद पर नियुक्ति करने में सक्षम बनाते हैं; (i) मुख्य बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के पद से पदोन्नति द्वारा, (ii) सीधी नियुक्ति द्वारा और (iii) स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा। 1979 के नियमों के नियम 9 (1) के तहत, नियुक्ति प्राधिकारी को यह निर्धारित करना होगा कि रिक्ति को किस तरीके से भरा जाना है। पिछले आठ अवसरों पर प्रतिनियुक्ति द्वारा निदेशक के पद पर नियुक्ति अपने आप में प्रतिवादी-एजेंसी की कार्रवाई को अवैध नहीं बनाती है, भले ही नियुक्ति फिर से प्रतिनियुक्ति के माध्यम से की गई हो।

(4) हमने पक्षों के विद्वान वकील द्वारा दी गई दलीलों पर विचार किया है। दोनों पक्षों ने यह स्वीकार कर लिया है कि निदेशक पद पर नियुक्ति 1979 की नियमावली के अनुरूप होनी है। ये नियम पद पर नियुक्ति के लिए योग्यताएं इस प्रकार निर्धारित करते हैं:-

क्रमांक	पदों का पदनाम	शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव	उम्र	भर्ती का तरीका
1.	निदेशक	एमएससी (कृषि) पादप प्रजनन/कृषि विज्ञान/बागवानी (शाकाहारी)/बीज प्रौद्योगिकी में। अनुसंधान/फार्म प्रबंधन, फसल उत्पादन/बीज उत्पादन/विकास और विस्तार गतिविधियों में कम से कम 15 साल का अनुभव, जिसमें से 10 साल का अनुभव वरिष्ठ पद पर होना चाहिए। योजना के आयोजन, कार्यान्वयन के लिए पूरी तरह से परिचित होना चाहिए और बीज उत्पादन से जुड़े प्रशासनिक/तकनीकी मामलों को जानना चाहिए।	40-50 साल	(i) मुख्य बीज प्रमाणीकरण अधिकारी से पदोन्नति। (ii) प्रत्यक्ष। (iii)स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति

(5) उपरोक्त नियमों के अवलोकन से पता चलता है कि निदेशक पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार के पास आवश्यक स्नातकोत्तर योग्यता एम.एससी. (कृषि) पादप प्रजनन/कृषि विज्ञान/बागवानी/फसल उत्पादन/बीज उत्पादन/विकास और विस्तार गतिविधियों में होनी चाहिए। उम्मीदवार के पास कम से कम 15 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए, जिसमें से 10 वर्ष का अनुभव

वरिष्ठ पद पर अनुभव होगा। योग्यताएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं कि उम्मीदवार को योजना बनाने, कार्यान्वयन करने में पूरी तरह से पारंगत होना चाहिए और बीज उत्पादन से जुड़े प्रशासनिक/तकनीकी मामलों का ज्ञान होना चाहिए। उपरोक्त नियम यह भी दर्शाते हैं कि पोस्ट निर्धारित तीन तरीकों में से किसी भी तरीके से दाखिल किया जा सकता है। सक्षम प्राधिकारी यह तय करेगा कि पद किस स्रोत से भरा जाना है। हमारी राय में, उत्तरदाताओं-एजेंसी के पास एक साथ तीन स्रोतों से नियुक्ति के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र होगा। 1979 नियमावली का नियम 9(1) इस प्रकार है:-

> "9(1) : भर्ती की विधि: सेवा में भर्ती इन नियमों के परिशिष्ट बी के कॉलम 4 में निर्दिष्ट तरीके से की जाएगी। जहां सेवा में कोई रिक्ति होती है या होने वाली होती है, तो नियुक्ति प्राधिकारी यह निर्धारित करेगा कि ऐसी रिक्ति किस प्रकार भरी जाएगी।

नोट: सभी पदोन्नतियाँ वरिष्ठता और पद के लिए उपयुक्तता के आधार पर की जाएंगी और कोई भी व्यक्ति अधिकार के रूप में और केवल वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

(6) उपरोक्त नियम को पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि इसे परिशिष्ट बी के कॉलम नंबर 4 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। जैसा कि पहले देखा गया है, परिशिष्ट बी तीन स्रोत प्रदान करता है, जिनसे निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। जब रिक्ति होती है या होने

वाली होती है, तो नियुक्ति प्राधिकारी का कर्तव्य है कि वह यह निर्धारित करे कि ऐसी रिक्तियां किस प्रकार भरी जाएंगी। यदि नियुक्ति पदोन्नति द्वारा की जानी है तो वरिष्ठता और फिटनेस के मानदंड लागू करने होंगे। कोई भी व्यक्ति अधिकार के तौर पर और केवल वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति का दावा करने का हकदार नहीं होगा। उपरोक्त मानदंडों को ध्यान में रखते हुए, 28 अक्टूबर, 2002 को आयोजित बैठक में उत्तरदाताओं-एजेंसी ने निदेशक के पद के लिए सीधी भर्ती नहीं करने का निर्णय लिया। निर्णय लिया गया कि केवल दो पैनल बुलाये जायेंगे, एक मुख्य बीज प्रमाणीकरण अधिकारी संवर्ग से तथा दूसरा स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने वाले व्यक्तियों में से। इस पद को सीधी भर्ती से न भरने का निर्णय लिया गया क्योंकि पद भरने में काफी समय लगेगा। विभागों को 7 नवंबर, 2002 तक नामों का पैनल भेजने का निर्देश दिया गया क्योंकि अगली बैठक 13 नवंबर, 2002 को होनी थी। कोरम की कमी के कारण बैठक 17 दिसंबर, 2002 तक के लिए स्थगित कर दी गई। 17 दिसंबर, 2002 को आयोजित बैठक में उम्मीदवारों पर विचार किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 का चयन बेहतर सेवा रिकॉर्ड, अनुभव और उच्च वेतनमान के आधार पर किया गया। याचिकाकर्ता का वेतनमान रु. 10000-325- 13900 जबकि प्रतिवादी क्रमांक 3 रुपये के वेतनमान 10000-325-15900 में था। प्रतिवादी संख्या 3 स्पष्ट रूप से उच्च वेतनमान में था। यह भी नोट किया गया है कि प्रतिवादी नंबर 3 संयुक्त निदेशक कृषि के रूप में कार्यरत था जबकि याचिकाकर्ता उप निदेशक बीज प्रमाणीकरण के रूप में कार्यरत था। इस प्रकार, प्रतिवादी संख्या 3 की स्थिति और नामकरण

उच्च स्तर पर था। इस प्रकार, उत्तरदाताओं के अनुसार, याचिकाकर्ता की स्थिति, नामकरण, वेतनमान, अनुभव, उपयुक्तता-सह-फिटनेस या विशेषज्ञता के क्षेत्र में प्रशासनिक अनुभव के मामले में चयनित उम्मीदवारों के साथ कोई समानता नहीं है। अनुभव के संबंध में, उत्तरदाताओं ने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रतिवादी नंबर 3 के पास 7 नवंबर, 2002 को 17 + 1/2 वर्ष से अधिक का अनुभव था। उन्होंने फरवरी 1985 से 6 दिसंबर, 1992 को रुपये 2200-4000 की ग्रेडिंग में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार में सहायक वैज्ञानिक के रूप में कार्य किया था। 2200-4000 को जिसके बाद में संशोधित कर रु. 8000-13500 कर दिया गया थे। ये ग्रेड उत्तरदाताओं-एजेंसी के मुख्य बीज प्रमाणीकरण अधिकारियों के ग्रेड के बराबर थे। लिखित बयान में आगे कहा गया है कि प्रतिवादी नंबर 3 कृषि विभाग में उप निदेशक कृषि के रूप में शामिल हुए और 7 दिसंबर, 1982 से 2 अगस्त, 1998 तक वहां सेवा की। उन्हें 3 अगस्त, 1998 को संयुक्त निदेशक कृषि के रूप में पदोन्नत किया गया और 18 दिसंबर, 2002 तक सेवा की। यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि याचिकाकर्ता जानबूझकर गलत तथ्य बताने और इस न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है।

(7) हालांकि, याचिकाकर्ता ने एक प्रतिकृति दायर की है और कहा है कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में, जो पद वेतनमान में हैं, वे रुपये से अधिक नहीं हैं। 13500 श्रेणी II/ग्रेड "बी" सेवा हैं। इसलिए, प्रतिवादी संख्या 3 को प्रथम श्रेणी सेवा या वरिष्ठता क्षमता वाली सेवा में नहीं माना जा सकता है। हमारी राय में, ऊपर वर्णित तथ्य यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करते हैं कि उत्तरदाताओं की कार्रवाई को

मनमाना या अधिकार क्षेत्र के बिना नहीं कहा जा सकता है। निस्संदेह, एस.एस. गिल की नियुक्ति इस न्यायालय द्वारा 1994 के सीडब्ल्यूपी संख्या 7772 में रद्द कर दी गई थी। याचिकाकर्ता ने रिट याचिका में ही उपरोक्त निर्णय के पैराग्राफ 12 से 14 का हवाला दिया है, जो इस प्रकार हैं: -

> "12. अब हम पदोन्नति द्वारा निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता की पात्रता के संबंध में उत्तरदाताओं नंबर 1 और 3 की आपत्ति पर ध्यान दे सकते हैं। इसमें कोई विवाद नहीं है कि निदेशक, मुख्य बीज प्रमाणीकरण अधिकारी एवं बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु नियमावली 1979 में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एक ही है। याचिकाकर्ता को एम.एससी. की योग्यता के साथ बीज प्रमाणीकरण सहायक (बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के रूप में पुनः नामित) और मुख्य बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। (कृषि) वनस्पति विज्ञान में। मुख्य बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के पद पर चयन आयुक्त कृषि सहित शासन के विभिन्न अधिकारियों की एक समिति द्वारा किया गया। याचिकाकर्ता का चयन करने वाली समिति को याचिकाकर्ता की योग्यता की जांच करने का अवसर मिला और एक बार उक्त चयन समिति ने यह विचार किया कि याचिकाकर्ता की योग्यता उसे मुख्य बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र बनाती है, उत्तरदाताओं ने कहा अब पलटकर याचिकाकर्ता की योग्यता पर सवाल नहीं उठा सकते। हमें यह जानकर

आश्चर्य हुआ कि प्रतिवादी संख्या 1 और 3 ऐसी याचिका के साथ आगे आए हैं, हालांकि प्रतिवादी संख्या 4, जो एम.एससी भी है। (कृषि) कीट विज्ञान, कीटनाशक पदों एवं उनके नियंत्रण से संबंधित विषय में निदेशक नियुक्त किया गया है। हमारी सुविचारित राय में, याचिकाकर्ता की पात्रता पर प्रतिवादी संख्या 1 और 3 द्वारा उठाई गई आपत्ति स्पष्ट रूप से गलत और अस्थिर है।

13. निष्कर्ष निकालने से पहले, हम इस बात पर गौर कर सकते हैं कि जिस तरह से राज्य के पदाधिकारियों ने संगठन के सर्वोच्च पद पर नियुक्ति करने के लिए एक विधिवत गठित निकाय के अधिकार को छीन लिया है, वह वांछित नहीं है। निदेशक पद पर नियुक्ति के लिए सिफ़ारिशें लेने के लिए राजनीतिक हस्तियों से संपर्क करने वाले सरकारी विभागों के अधिकारियों और अन्य लोगों को प्रोत्साहित होने के बजाय हतोत्साहित किया जाना चाहिए था। सरकार को निदेशक पद पर नियुक्ति के मामले में मंत्रियों व अन्य राजनीतिक हस्तियों पर पड़ रहे सीधे दबाव को गंभीरता से लेना चाहिए था । सिफ़ारिश करने वाले किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का कृषि विभाग से कोई सीधा सरोकार नहीं था, फिर भी उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के सिफ़ारिश की। उन्हें केवल यह याद दिलाने की आवश्यकता है कि उच्चतम और साथ ही सबसे निचले सार्वजनिक पद पर नियुक्ति एक सार्वजनिक संपत्ति है और प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी विशेष पद पर नियुक्ति के लिए

योग्यता रखता है, को आनंद की प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है। यह सार्वजनिक संपत्ति. सार्वजनिक रोजगार में पदों पर नियुक्ति को तब तक दान, उदारता या रियायत का मामला नहीं माना जा सकता जब तक कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में निहित "समानता" का सिद्धांत क़ानून की किताब में न रहे और इस बुनियादी विशेषता का उल्लंघन करने का कोई भी प्रयास न किया जाए। न्यायालय द्वारा संविधान को प्रतिकूल रूप से देखा जाएगा।

14. परिणाम में, रिट याचिकाकर्ता को अनुमति दी जाती है। हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेंसी के निदेशक के पद पर प्रतिवादी नंबर 4 की नियुक्ति, जो इस अदालत के 6 जून, 1994 के आदेश के संदर्भ में इस रिट याचिका के परिणाम के अधीन थी, को अवैध घोषित किया जाता है और रद्द कर दिया जाता है। प्रतिवादी संख्या 4 को निदेशक, हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण एग्नेंसी के कार्यालय का कब्ज़ा करने वाला घोषित किया जाता है। हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेंसी को आज तीन महीने की अवधि के भीतर 1979 के नियमों के प्रावधानों के अनुसार निदेशक के पद पर नियुक्ति करने का निर्देश दिया जाता है। पार्टियों को अपना खर्च स्वयं वहन करने के लिए छोड़ दिया गया है। याचिका मंजूर।"

(8) उपरोक्त पैराग्राफों के अवलोकन से पता चलता है कि उसमें मौजूद विवाद का वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए दावे से कोई प्रासंगिकता नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि उस मामले में याचिकाकर्ता को पद के लिए अयोग्य माना गया है। इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता की योग्यता की जांच करने के बाद माना कि याचिकाकर्ता निदेशक पद के लिए विचार किए जाने के योग्य है। उस मामले में महत्वपूर्ण महत्व के दूसरे बिंदु पर फैसले के पैराग्राफ 11 में विचार किया गया था। डिविजन बेंच की टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:-

> "11. उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि यद्यपि 1979 के नियमों के तहत, निदेशक के पद पर नियुक्ति करने का अधिकार गवर्निंग बोर्ड के पास है, प्रतिवादी संख्या 4 की नियुक्ति, वास्तव में, सरकार द्वारा की गई है, न कि गवर्निंग बोर्ड द्वारा। तख़्ता। यह दिखाने के लिए हमारे सामने कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है कि प्रतिवादी-एजेंसी के गवर्निंग बोर्ड ने कभी बैठक की और निदेशक के पद पर नियुक्ति करने के सवाल पर अपना दिमाग लगाया। इसलिए, यह स्पष्ट है कि निदेशक का पद किस पद्धति से भरा जाना चाहिए, यह तय करने के उद्देश्य से नियम 9 के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई अभ्यास नहीं किया गया था। यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी-एजेंसी के गवर्निंग बोर्ड ने किसी भी समय एजेंसी के निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी विशेष व्यक्ति की पात्रता, अनुभव तो क्या उपयुक्तता की आवश्यकता पर भी ध्यान नहीं दिया। हमारी

राय में, यह एक ऐसा मामला है जिसमें प्रतिवादी का गवर्निंग बोर्ड/एजेंसी ने निदेशक पद पर नियुक्ति करने के अपने कर्तव्य के साथ-साथ अधिकार का भी त्याग कर दिया है और राज्य सरकार ने निदेशक पद पर नियुक्ति करने की गवर्निंग बोर्ड की शक्ति को छीन लिया है। इस प्रकार, सरकार द्वारा की गई कवायद और निदेशक के पद पर प्रतिवादी नंबर 4 को नियुक्त करने की उसकी कार्रवाई को अधिकार क्षेत्र के बिना नहीं माना जा सकता है क्योंकि प्रतिवादी नंबर 4 को प्रतिवादी के निदेशक के उच्च सार्वजनिक पद का हड़पने वाला घोषित किया जा सकता है।"

(9) उपरोक्त चर्चा के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि डिवीजन बेंच एक ऐसे मामले पर विचार कर रही थी जहां निदेशक के पद पर नियुक्ति नियम 9 के अनुसार नहीं की गई थी। यह माना गया कि गवर्निंग बोर्ड ने अपने कार्यों का त्याग कर दिया था। न्यायालय ने राज्य पदाधिकारियों के आचरण पर भी प्रतिकूल टिप्पणी की, जिन्होंने संगठन के सर्वोच्च पदों पर नियुक्तियाँ करने के लिए एक विधिवत गठित निकाय के अधिकार को छीन लिया था। अंततः डिवीजन बेंच ने एजेंसी को नियम, 1979 के प्रावधानों के अनुसार निदेशक के पद पर नियुक्ति करने का निर्देश दिया। इसके बाद, एजेंसी ने फिर से याचिकाकर्ता को नियुक्त नहीं किया, बल्कि एक बलजीत सिंह को नियुक्त किया। याचिकाकर्ता ने 1995 का सीओसीपी नंबर 1128 दायर किया। लेकिन इसे खारिज कर दिया गया और नियम को खारिज कर दिया गया। सीओसीपी में विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के

अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने नियुक्ति करने के लिए उत्तरदाताओं द्वारा अपनाए गए तरीके पर भी विवाद नहीं किया। विद्वान एकल न्यायाधीश की कुछ टिप्पणियाँ इस प्रकार देखी जा सकती हैं:-

> "अवमानना की कार्यवाही में मुख्य रूप से यह देखना आवश्यक है कि क्या उत्तरदाताओं ने अदालत द्वारा जारी निर्देशों को प्रभावी किया है। इसलिए, मौजूदा मामले में केवल यह देखना होगा कि डिवीजन बेंच द्वारा पारित 28 सितंबर, 1994 के आदेश में निहित इस न्यायालय के निर्देशों का पालन किया गया है या नहीं। पूरे मामले पर विचार करने पर मेरी राय है कि इस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक होना चाहिए। 28 सितंबर, 1994 के आदेश में एकमात्र निर्देश यह दिया गया था कि "हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेंसी उक्त आदेश के तीन महीने की अवधि के भीतर 1979 के नियमों के प्रावधानों के अनुसार निदेशक के पद पर नियुक्ति करेगी।" रिकॉर्ड पर एक स्वीकृत तथ्य है कि उत्तरदाताओं ने निदेशक के पद पर नियुक्ति करके निर्देश का पालन किया है और यह न्यायालय द्वारा अनुमत समय के भीतर भी किया गया है। ऐसा करते समय, यहां तक कि उक्त पद पर नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता का नाम भी नहीं बताया गया। पद पर विचार किया गया था। यह एक अलग मामला है कि जिन बैठकों में निदेशक नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है, उनकी कार्यवाही कानून के अनुसार की गई थी या नहीं। <u>यह भी विवादित नहीं है</u>

कि उत्तरदाताओं ने जो तरीका अपनाया है निदेशक की नियुक्ति उन नियमों के दायरे से बाहर नहीं थी जिनके तहत इसे डिवीजन बेंच के आदेश के तहत करने का निर्देश दिया गया था..."।

(10) नियुक्ति के तरीके को अपनाने के लिए उत्तरदाताओं के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार करने के बाद, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का तर्क है कि नियुक्ति के तीन तरीके घटते क्रम में हैं। दूसरे शब्दों में, उत्तरदाताओं-एजेंसी को सबसे पहले मुख्य बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के पद से निदेशक के पद को पदोन्नति द्वारा भरने का प्रयास करना होगा। यदि पदोन्नति के लिए कोई उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है, तो उत्तरदाता सीधी भर्ती की पद्धति का सहारा ले सकते हैं। यदि सीधी भर्ती द्वारा कोई चयन नहीं किया जाता है, तो उत्तरदाता तीसरी विधि का सहारा ले सकते हैं अर्थात स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति। विकल्प में, यह प्रस्तुत किया गया है कि भर्ती के तीन स्रोतों के उम्मीदवारों पर एक साथ नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जा सकता है। किसी भी स्थिति में, स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति का सहारा तभी लिया जा सकता है, जब पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए कोई उम्मीदवार उपलब्ध न हो। हम नियमों में ऐसे किसी भी प्रतिबंध को पढ़ने में असमर्थ हैं। नियमों को पढ़ने से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि नियुक्ति प्राधिकारी के पास उस स्रोत को चुनने का विवेक है जहां से नियुक्ति की जाएगी। नियमों के तहत न तो कोई कोटा है और न ही कोई रोटा

प्रदान किया गया है। भर्ती के स्रोतों का कोई पदानुक्रम भी नहीं है। एक स्रोत की दूसरे पर कोई प्राथमिकता भी नहीं है। ये अतिरिक्त प्रतिबंध जिनकी याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने पुरजोर वकालत की है, उन्हें निहितार्थ से नहीं जोड़ा जा सकता है। नियम की व्याख्या करते समय, इस न्यायालय के लिए नियम में संशोधन या संशोधन करना स्वीकार्य नहीं होगा। नियम की व्याख्या या व्याख्या करते समय, न्यायालय नियम का पुनर्निर्माण नहीं कर सकते। यह विधानमंडल या नियम निर्माताओं का कार्य है। लेकिन श्री लालर ने **दिलवान सिंह (सुप्रा)** के मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मजबूत भरोसा जताया है। हम विद्वान वकील की दलील को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। सुप्रीम कोर्ट उस नियम पर विचार कर रहा था जो राज्य सेवाओं में पूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए बनाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से इस प्रकार टिप्पणी की है:-

> ''.....पूर्व सैनिकों के आरक्षण का उद्देश्य है रक्षा सेवाओं से छुट्टी के बाद उनका पुनर्वास करें। राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार पूर्व सैनिकों की उपलब्धता के अभाव में उन पदों को रिक्त रखने के स्थान पर पूर्व सैनिकों के आश्रित बच्चों अर्थात पुत्र या पुत्री पर भी विचार किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह होगा कि चयन बोर्ड को पहले पूर्व सैनिकों के दावों पर विचार करना चाहिए और पूर्व सैनिकों के आश्रित बच्चों के दावों से पहले उनकी पात्रता पर स्वतंत्र रूप से विचार करना चाहिए। यदि वे पात्र पाए जाते हैं और

चयनित हो जाते हैं, तो शेष रिक्त पदों के लिए पूर्व सैनिकों के आश्रित बच्चों में से चयन किया जाना चाहिए..."

(11) उपरोक्त टिप्पणियों के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि नियम में ही यह परिकल्पना की गई थी कि पूर्व सैनिकों के दावे पर पहले विचार किया जाएगा। रिक्त पदों की स्थिति में पूर्व सैनिकों के आश्रित बच्चों में से चयन किया जाना चाहिए।

(12) यह एक स्वीकृत स्थिति है कि याचिकाकर्ता के पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के दावे पर विचार किया गया है। यह कानून का स्थापित प्रस्ताव है कि कोई भी व्यक्ति अधिकार के रूप में पदोन्नति का दावा नहीं कर सकता है। कर्मचारी केवल नियमों और विनियमों के अनुसार पदोन्नति पर विचार करने के हकदार हैं। इसलिए, हमारी सुविचारित राय है कि याचिकाकर्ता के किसी भी कानूनी अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया है।

(13) उपरोक्त के मद्देनजर, हमें रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं मिली और इसे लागत के संबंध में कोई आदेश दिए बिना खारिज कर दिया गया।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रितिज़ अरोड़ा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(TRAINEE JUDICIAL OFFICER)

(हरियाणा)